न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

. पीठासीन अधिकारी :— प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :— 52/2023 ई.रे. दिनांक 27.05.2025

1— तेजसिंह पिता माधुसिहं राजपूत नि. जवानसिह जी का खेड़ा तहसील बडीसादडी
— प्रार्थी

बनाम

1— रामसिंह पिता नारायणसिंह राजपूत नि. जवानसिंह जी का खेड़ा तहसील बडीसादडी
2— पप्पुसिंह पिता नारायणसिंह राजपूत नि. जवानसिंह जी का खेड़ा तहसील बडीसादडी
3—कैलाशसिंह पिता नारायणसिंह राजपूत नि. जवानसिंह जी का खेड़ा तहसील बडीसादडी
4— रसालकुंवर पत्नी नारायणसिंह राजपूत नि. जवानसिंह जी का खेड़ा तहसील बडीसादडी
5— गेहरीलाल पिता पेमा जाट नि. जवानसिंह जी का खेड़ा तहसील बडीसादडी
6— तहसीलदार बडीसादडी
—अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित— श्री दिनेश कुमार वैष्णव वकील प्रार्थी
श्री अनिल सोनावा वकील विपक्षीगण 1 से 4
विपक्षी संख्या 5 व 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही

—:: आदेश::—

प्रार्थी की ओर सें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट. का इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र कि चरण संख्या 2 में वर्णित वाद ग्रस्त भूमि मौजा उठेल में खाता संख्या 79 की आराजी नं. 750 रकबा 0.5600 है., आराजी नं. 787 रकबा 0.320 है., आराजी नं. 788 रकबा 0.2700 हैक्ट., आराजी नं. 789 रकबा 0.1000 हैक्ट., आराजी नं. 792 रकबा 0.4300 हैक्ट., आराजी नं. 793 रकबा 1.6200 हैक्ट., कुल किता 6 रकबा 3.3000 हैक्ट. स्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में खाता संख्या 196 की आराजी नं. 778 रकबा 0.1400 हैक्ट., आराजी चाह है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में खाता संख्या 309 की आराजी नं. 728 रकबा 3.3200 हैक्ट. लगानी 43.16 रूपया है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 में खाता संख्या 194 की आराजी नं. 790 रकबा 1.3300 हैक्ट., आराजी नं. 791 रकबा 0.5900 हैक्ट. है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 में खाता सं. 194 की आराजी नं. 744 रकबा 1.2700 हैक्ट. व आराजी नं. 823 रकबा 2.6500 हैक्ट. स्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 से 6 में वर्णित आराजीयात पुश्तैनी सम्पत्ति होकर माधुसिंह के समय से चली आ रही है माधुसिंह जी ग्राम जवानसिंह जी का खेड़ा के जागीरदार थे जिनके बडे पुत्र नारायणसिंह जी थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है जिनके वारीस उनके पुत्र व बेवा विपक्षीगण संख्या 1 से 4 है व दूसरे पुत्र प्रार्थी तेजसिंह जी है जिनकी माता का नाम दरियाव कुंवर है जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है जिनके वारीस प्रार्थी व विपक्षीगण संख्या 1 से 4 है जिस पर प्रार्थी व विपक्षीगण शांतिपूर्वक काबीज होकर [illegible] रहे है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजीयात नं. 787, 788 व चरण संख्या 3 से 6 में [illegible] आराजी नं. 790, 791, 744, 823 व 728 को मिलाकर प्रार्थी व विपक्षीगण ने बटवाड़ा कर [illegible] है तथा मौके पर [illegible] बटवाड़ा कर काबीज होकर काश्त कर रहे है इसलिये वादग्रस्त आराजीयात की मौके पर कब्जे अ[illegible] बटवाड़ा कराया जाकर आराजीयात प्रार्थी व विपक्षीगण के खातेदारी में घोषित कराई जाकर अलग अलग खातेदारी में दर्ज कराई जावे। प्रार्थी व पिपक्षीगण आराजी चाह नं. 778 का अपने हिस्से अनुसार उपयो[illegible] कर रहे है तथा प्रार्थी ने [illegible] आराजीयात

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.07.17 17:12:49 IST
Reason: SelfAttested

की पिलाई हेतु टयुबवेल भी लगा रखी है तथा विपक्षीगण प्रार्थी की टयुबवेल को अपनी होना बताते हुए झगड़ा करते रहते है। इसलिये विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजीयात में जबरन दखलदांजी नहीं करे न करावे। प्रार्थी खातेदार काश्तकार है तथा अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहा है जिससे प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है यदि विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात को हस्तान्तरीत करने में सफल हो जावेंगे जिससे अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजीयात में जबरन दखलदांजी नहीं कर न करावें न आराजीयात को हस्तान्तरित करे न करावे तथा मौके व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे का पेश किया । विपक्षी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल सोनावा ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का अस्वीकार करते हुये अभिकथन किया है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजीयात प्रार्थी के एकल खातेदारी में दर्ज है। जिसका प्रार्थी खातेदार है उसमें विपक्षीगण सह खातेदार नहीं है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित आराजी नं. 778 रकबा 0.1400 गे.मु.चाह है जिसमें भी विपक्षी क्रमांक 1 से 3 के पिता व विपक्षी क्रमांकं 4 के पति नारायणसिंह पिता माधुसिंह के नाम पर 1/36 हक व हिस्सा है। इसमे अन्य खातेदार है जिसको प्रार्थी ने विपक्षी नहीं बनाया है जो आवश्यक पक्षकार है जिसके अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित आराजी नं. 728 रकबा 3.3200 हैक्ट. जिसके खातेदार काश्तकार विपक्षीगण एवं अन्य सहखातेदार गेहरीलाल पिता पेमा जाट है जिस पर मौके पर विपक्षी ही काबिज है प्रार्थी तेजसिंह का इस आराजीयात से कोई संबंध नहीं है और ना ही उक्त खाते में प्रार्थी सह खातेदार है जिससे भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित आराजी नं. 790 रकबा 1.3300 हैक्ट. , आराजी नं. 791 रकबा 0.5900 हैक्ट. एवं प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 में वर्णित आराजी नं. 744 रकबा 1. 2700 हैक्ट. व आराजी नं. 823 रकबा 2.6500 हैक्ट. भूमि प्रार्थी ने इनके प्रार्थना पत्र में अंकित है जो विपक्षीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है इन आराजीयात से प्रार्थी तेजसिंह का कोई संबंध नहीं है और ना ही प्रार्थी इन आराजीयात की भूमि में सह खातेदार है इस आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कानूनन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत चलने योग्य नही हैं। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 7 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है चूंकि प्रार्थी एवं विपक्षी तथा अन्य खातेदारो के मध्य पूर्व मे वाद बाबत धारा 88, 53 आर.टी.एक्ट. का हम विपक्षीगण ने समस्त आराजीयात का बाबत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 113/1991 उनवान रामसिह बनाम भंवरसिंह वगैरह है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.03.1992 को वाद वादी डिक्री किया जाकर खाते बंटवाड़े से अलग किया जाता है का आदेश पास्ति किया गया जिसकी पालना के आधार पर खाते राजस्व अभिलेख में अलग–अलग हुये। जिसमें प्रार्थी किसी प्रकार से सहखातेदार नही है और ना ही प्रार्थी को कोई हक व अधिकार है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य वाद का विभाजन माननीय न्यायालय के आदेश से ही हुआ है प्रार्थी ने पुनः पश्चातवर्ती वाद पेश किया है जो कानूनन अन्तर्गत धारा 11 जा.दी. रेस्जुडिस्केटा के तहत चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 8 में वर्णित तथ्य प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य पूर्व में कोई बहामी विभाजन नहीं हुआ बल्कि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में बटवाड़े हुये तथा उसी अनुसार पक्षकार काबिज है चूंकि प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का सहखातेदार नहीं है ओर ना ही मौके पर विपक्षीगण की एकल खातेदारी में कोई संबंध नही है प्रार्थी ने गैर कानूनी तथ्य बताकर खातेदारी घोषित कराने के तथ्य बताये है जबकि प्रार्थी ने वाद विभाजन बावत पेश किया है न कि खातेदारी घोषणा का इस आधार पर भी प्रार्थी का वाद/प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात में सहखातेदार नहीं है चूंकि कानूनन सहखातेदार व सहअंशधारी ही अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवा सकता है इसलिये प्रार्थी का वाद धारा 53 आर.टी.एक्ट. के तहत चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 9 में वर्णित आराजी नं. 778 रकबा 0.1400 गे.मु.चाह का है जिसमें विपक्षी क्रमांक 1 से 3 के पिता एवं विपक्षी क्रमांक 4 के पति नारायणसिह पिता माधुसिंह का 1/36 हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज है जिसमें विपक्षीगण ने हिस्से पर ट्यूबल लगा रखी है तथा उसी अनुसार काबिज है तथा विधुत का कनेक्शन का बिल भी विपक्षी ही जमा कराते है इससे प्रार्थी को कोई संबंध नहीं है इसमें प्रार्थी ने जानबूझकर अन्य सहखातेदारों जिनका इन आराजी हक व अधिकार है तथा वो

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.07.17 17:12:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

आवश्यक पक्षकार है उनको पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है इसलिये आवश्यक पक्षकारो के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 10 का जवाब विपक्षी द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर टयूबेल अपनी सिंचाई की सुविधा के लिये लगा रखी है जिसके विघुत का कनेक्शन भी विपक्षी ही जमा कराते है इस कनेक्शन एवं टयूबवेल से प्रार्थी का कोई संबंध नही है विपक्षी अपने हिस्से की भूमि बहैसीयत खातेदार काशतकार होकर काबिज है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 11 का विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है जिससे प्रथम दृष्टिया केस विपक्षीगण का प्रमाणित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी विपक्षीगण के पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति भी विपक्षीगण को हो रही है जबकि कानून एक रिर्कोडेड खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी प्रार्थी नहीं है। अतः जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि के विपरीत होने से भारी से भारी कोस्ट पर खारिज किये जावे। विपक्षी क्रमांक 5 व 6 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो का दौहराते हुये तर्क दिया कि वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी पैतृक है जिसका प्रार्थी एवं विपक्षीगण के बीच विधिवत विभाजन नहीं हुआ है प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। इसलिये विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत वकील विपक्षी संख्या 1 से 4 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुये तर्क दिया कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य पूर्व में न्यायालय आदेश द्वारा विभाजन हो चुके है तथा प्रार्थी एवं विपक्षीगण के खाते अलग–अलग है। तथा इसी अनुसार प्रार्थी एवं विपक्षीगण मौके पर काबिज है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 11 सी.पी.सी. के तहत चलने योग्य नहीं हैं एवं प्रार्थी वर्तमान राजस्व अभिलेख में सहखातेदार नहीं है। इसलिये प्रार्थी धारा 53 आर.टी. एक्ट. के तहत विभाजन कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी कानून के तहत एक रिर्कोडेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षो के तर्को के एवं बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं का प्रमाणित करना होता है :–

1– प्रथम दृष्टया मामला

2– सुविधा का संतुलन

3– अपूरणीय क्षति

1– **<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>**

प्रथम दृष्टया मामला से अभिप्राय यह है कि क्या प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के जरिये ऐसा कोई सदभाविक प्रश्न उठाया गया है जिसके लिये न्यायालय द्वारा जांच एवं अनुसंधान की आवश्यकता है इस संबध में प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी सम्पति होकर माधुसिंह जी के समय से चली आ रही है प्रार्थी एवं विपक्षीगण ने बटवाड़ा कर रखा है तथा मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं इसलिये वादग्रस्त आराजीयात का मौके पर कब्जा अनुसार बटवाड़ा करवाया जाकर आराजीयात प्रार्थी एवं विपक्षीगण के खातेदारी में घोषित करायी जाकर अलग–अलग खातेदारी में दर्ज करायी जावे। और विपक्षीगण को पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजीयात को हस्तान्तरीत नहीं करे । राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद करने का निवेदन किया । इसके विपरीत विपक्षी संख्या 1 से 4 न अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात का प्रार्थी एवं विपक्षी व अन्य खातेदारो के मध्य पूर्व में वाद बाबत धारा 88, 53 आर.टी.एक्ट [illegible] समस्त आराजीयात बाबत माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 113/1991 [illegible] सिह वगैरह बनाम भंवरसिंह वगैरह है जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 23.03.1992 को वाद वादी डिक्री [illegible] जाकर खाते बटवाडे से अलग किया जाता है का आदेश पारित किया गया जिसके आधार पर खाते [illegible] अभिलेख में अलग–अलग हुये जिसमें प्रार्थी किसी प्रकार से सहखातेदार नहीं है और प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य वाद का विभाजन न्यायालय के आदेश से ही हुआ हैं । प्रार्थी ने पुनः पश्चातवर्ती वाद पेश किया है जो कानूनन अन्र्तगत धारा 11 जा.दी. रेस्जूडीस्केटा के तहत खारिज किया जाने एवं प्रार्थी ने धारा 53 आर.टी.एक्ट. के प्रावधानो के विपरीत प्रार्थी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.07.17 17:12:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया । इसका विश्लेषण किया गया जिससे यह पाया जाता है कि विवादित आराजीयात का प्रकरण संख्या 113/1991 निर्णय दिनांक 23.03.1992 से घोषणा एवं विभाजन आदेश से प्रार्थी एवं विपक्षीगण के खाते विभाजन से अलग–अलग हुये है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थी एवं विपक्षीगण के अलग–अलग खाते में दर्ज है प्रार्थी सहखातेदार नहीं है । अतः पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो से यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के कृषि भूमि के खाते अलग –अलग है प्राथी सहखातेदार नही है विपक्षीगण रिकोडेर्ड खातेदार काश्तकार है जिनके विरूद्व अस्थाई प्रचलित कराने का अधिकारी नही है प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र दस्तावेजों के एवं अभिवचनों के आधार पर सावित करने में असफल रहा है इसलिये प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना नही पाया जाता है। अतः प्रथम दृष्टया मामले का बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध तय किया जाता है।

2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–

उक्त दोनों बिन्दु एक दूसरे से संबंधित होने के कारण उनका विनिश्चय एक साथ किया जा रहा है। पत्रावली का अवलोकन किया गया । हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टिया मामला प्रार्थी के विरूद्ध पाया गया है जिसको प्रमाणित करने में प्रार्थी असफल रहा है। प्रार्थी ने विभाजन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो राजस्व रिकोर्ड से पूर्णतया भिन्न है राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्रार्थी का खाता संख्या 79 में एकल खातेदारी मे दर्ज है। जिसमें विपक्षीगण सह खातेदार नही है। खाता संख्या 309, 308, 194 विपक्षीगण के नाम दर्ज है जिसमें प्रार्थी सहखातेदार नहीं है। विपक्षीगण रिर्कोडेड खातेदार काश्तकार है जिनको राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति व असुविधा नहीं हो रही है बल्कि विपक्षीगण रिर्कोडेड खातेदार काश्तकार हैं । अगर इनको अस्थाई निपेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अपूरणीय क्षति व असुविधा विपक्षीगण को हो सकती है। इस प्रकार दोनो विन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध तय किये जाते है।

तीनो की तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थी साबित करने में असफल रहने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन तथ्यों पर प्रस्तुत किये जाने से अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

–:: आदेश::–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट का अस्वीकार कर. खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 27/05/2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
वडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.07.17 17:12:49 IST
Reason: SelfAttested